

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 139/2019

दायर दिनांक: 23/07/2019

उनवान

1. रघुवीर आयु 27 वर्ष पुत्र रामगोपाल
2. मांगीबाई आयु 48 वर्ष पुत्री रामगोपाल
3. राजेशबाई आयु 45 वर्ष पुत्री रामगोपाल
4. ममताबाई आयु 40 वर्ष पुत्री रामगोपाल
5. संतोषबाई आयु 37 वर्ष पुत्री रामगोपाल
6. सुशीलाबाई आयु 34 वर्ष पुत्री रामगोपाल जातियान धाकड निवासीगण कँवरपुरा तह० अटरू जिला बारा (राज०)

वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल आयु 72 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी कँवरपुरा तह० अटरू जिला बारा (राज०)
2. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश

दिनांक : 25/09/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल मुसईगुजरान तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 353 का ख० न० 770 का रकबा 0.59 है० ख० न० 780 का रकबा 1.60 है० ख० न० 781 का रकबा 0.67 है० ख० न० 782 का रकबा 0.02 है० ख० न० 783 का रकबा 0.02 है० ख० न० 784 का रकबा 0.20 है० ख० न० 785 का रकबा 0.16 है० की कुल कित्ता 7 का रकबा 3.26 है० व वाके ग्राम एवं माल कँवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 71 का ख० न० 96 का रकबा 0.04 है० ख० न० 97 का रकबा 0.01 है० ख० न० 98 का रकबा 0.02 है० ख० न० 99 का रकबा 1.05 है० ख० न० 100 का रकबा 0.15 है० ख० न० 139 का रकबा 0.35 है० की कुल कित्ता 6 का रकबा 1.62 है०

मे प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमे प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद 0 1 मे वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी भैरूलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को पिता भैरूलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न 0 1 मे वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/21, 1/21, बनता है जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न 0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/21 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 23.07.2019 को प्रतिवादी क्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/21 ,1/21 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावें। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै 0 सी 0 सी 0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद 0 न 0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने का वादीगण का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानुनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न 0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से 1/21 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/21 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 10.08.2019 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल मुसई गुजरान व कँवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित

न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीक्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

- (अ) वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 के मुताबिक हिस्सा 1/21, 1/21, राजस्व रिकार्ड नकल जमा0 मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।
- (ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। विवादित आराजी ग्राम व माल मुसई गुजरान तहसील अटरू की खाता संख्या 353 की कुल किता 7 की 3.26 है0 व ग्राम व माल कँवरपुरा तहसील अटरू की खाता संख्या 71 की कुल किता 6 की 1.62 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 खाता दर्ज है। जो प्रतिवादी क्रम 1 की पैत्रक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण 1 लगायत 6 व प्रतिवादी क्रम का हिस्सा 1/21, 1/21 बनता है। जिसे राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्जकर हिस्सा 1/21, 1/21 का कृषक खातेदार घोषित किया जावें। उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो राजीनामा निम्न प्रकार है।

वादीगण 2 लगायत 6 व प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/21 का हकत्याग वादी क्रम 1 रघुवीर के पक्ष में बिना प्रतिफल लिए ही कर दिया है। इसलिए वादी क्रम 1 रघुवीर को हिस्सा 1/3 का कृषक खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादी क्रम 1 रघुवीर को हिस्सा 1/3 का कृषक खातेदार घोषित कर रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

उभय पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम एवं माल मुसईगुजरान तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 353 का ख0 न0 770 का रकबा 0.59 है0 ख0 न0 780 का रकबा 1.60 है0 ख0 न0 781 का रकबा 0.67 है0 ख0 न0 782 का रकबा 0.02 है0 ख0 न0 783 का रकबा 0.02 है0 ख0 न0 784 का रकबा 0.20 है0 ख0 न0 785 का रकबा 0.16 है0 की कुल किता 7 का रकबा 3.26 है0 में प्रतिवादी का हिस्सा $1/3$ व वाके ग्राम एवं माल कँवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 71 का ख0 न0 96 का रकबा 0.04 है0 ख0 न0 97 का रकबा 0.01 है0 ख0 न0 98 का रकबा 0.02 है0 ख0 न0 99 का रकबा 1.05 है0 ख0 न0 100 का रकबा 0.15 है0 ख0 न0 139 का रकबा 0.35 है0 की कुल किता 6 का रकबा 1.62 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। जिसमें प्रति0 क्रम 1 का हिस्सा $1/3$ दर्ज है। उक्त आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मुसई गुजरान की खाता संख्या 353 की कुल किता 7 का रकबा 3.26 है0 व ग्राम कँवरपुरा की खाता संख्या 71 किता 6 का रकबा 1.62 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा $1/3-1/3$ में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 को $1/21-1/21$ का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 2 ल 6 व प्रतिवादी क्रम 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा $1/21-1/21$ वादी क्रम 1 के पक्ष में हक त्याग करने से वादी क्रम 1 का हिस्सा $1/3$ व $1/3$ हिस्से का खातेदार कृषक हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 139/2019

उनवान

1. रघुवीर आयु 27 वर्ष पुत्र रामगोपाल
2. मांगीबाई आयु 48 वर्ष पुत्री रामगोपाल
3. राजेशबाई आयु 45 वर्ष पुत्री रामगोपाल
4. ममताबाई आयु 40 वर्ष पुत्री रामगोपाल
5. संतोषबाई आयु 37 वर्ष पुत्री रामगोपाल
6. सुशीलाबाई आयु 34 वर्ष पुत्री रामगोपाल जातियान धाकड निवासीगण कँवरपुरा तह0 अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल आयु 72 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी कँवरपुरा तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मुसई गुजरान की खाता संख्या 353 की कुल किता 7 का रकबा 3.26 है0 व ग्राम कँवरपुरा की खाता संख्या 71 किता 6 का रकबा 1.62 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3-1/3 में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 को 1/21-1/21 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 2 ल 6 व प्रतिवादी क्रम 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/21-1/21 वादी क्रम 1 के पक्ष में हक त्याग करने से वादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 व 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25.09.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

